न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–95/2017

सगीर अहमद..वादी

बनाम

मो0 इजहार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

Date	Order	Remarks
04.06.2026	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख उभय पक्षों की ओर से दाखिल संयुक्त सुलहनामा आवेदन दिनांक 21.05.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सुलहनामा आवेदन पर वादी एवं प्रतिवादी का हस्ताक्षर है। सुलहनामा आवेदन में कथन किया गया है कि उभय पक्षों के बीच फरिकैन, परिवार एवं शुभचिंतको के मध्यस्था से आपस में सुलह हो गया है तथा अब उभय पक्ष वाद लड़ना नहीं चाहते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी न्यायालय से प्रार्थना करते है कि सुलह के आधार पर वाद का निस्तारण कर दिया जाय। उभय पक्षों की ओर से सुलहनामा के आधार पर दिनांक 17.01.2026 को परीक्षित कराये गये वादी साक्षी सं0–01 हीरामति खातून तथा प्रतिवादी साक्षी सं0–01 अब्दुल कलाम गद्दी एवं प्रतिवादी साक्षी सं0–02 मनोज कुमार सिंह ने सुलहनामा आवेदन का समर्थन किया है तथा इन्होंने न्यायालय से प्रार्थना किया है कि सुलहनामा आवेदन के आधार पर वाद का निस्तारण कर दिया जाय। **आदेश** उभय पक्षों की ओर से दाखिल संयुक्त संधिपत्र दिनांक 21.05.2025 में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आलोक में संधिपत्र दिनांक 21.05.2025 स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है, तद्नुसार आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इसे स्वीकार किया जाता है तथा संधिपत्र के आधार पर वाद जयपत्रित किया जाता है। संधिपत्र दिनांक 21.05.2025 जयपत्र का अंश होगा। तद्नुसार कार्यालय जयपत्र तैयार करे। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	